147

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 879 –तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, रीवा – प्रकरण कमांक 51 अ–6/2011–12 निगरानी

1– सुखदेव द्विवेदी 2– इन्द्रदेव द्विवेदी
3– सहदेव दिवेदी 4– विष्णुदेव द्विवेदी
सभी पुत्रगण स्व0 रामहर्ष द्विवेदी
5– श्रीमती सरोज पत्नि स्व.रामहर्ष
निवासी ग्राम गेरूआर तहसील गुढ़ जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– राममणि 2– रामनाथ पुत्रगण हनुमान प्रसाद द्विवेदी
ग्राम गेरूआर तहसील गुढ़ जिला रीवा
3– रामलाल पुत्र रामाधार द्विवेदी ग्राम बंजारी
तहसील गुढ़ जिला रीवा ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरूण कुमार गौतम)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.त्रिपाठी)

आ दे श

(आज दिनांक २५-०१-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ–6/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–1–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मौजा गेरूआर स्थित भूमि सर्वे

कमांक 317/1, 217/2, 317/3, 317/4 है जिसका अधिकार अभिलेख में मूल सर्वे नंबर 317 रहा है जिसका विभाजन तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 50 अ 27/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 15-3-1996 से किया गया है। पटवारी द्वारा उक्तांकित नंबरों के किये गये नक्शा ट्रेस दिनांक 23-9-10 एंव 7-12-10 में भिन्नता है जिसके कारण नक्शा तरमीम संदेहास्पद हो गया है जिसका सुधार किया जावे एंव कब्जे के अनुसार नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार गुढ़ ने प्रकरण कमांक 44 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने आपत्ति दिनांक 12-7-11 प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार गुढ़ ने आदेश दिनांक 28-9-11 से निरस्त कर दिया। इस आदेश से दुखी होकर आवेदकगण ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ-6/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-14 से निगरानी निरस्त कर दी एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-9-11 को यथावत् रखा। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक कमांक-1 ने व्यवहार प्रकिया संहिता 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई है कि अनावेदक कमांक-1 द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर से दर्ज प्रकरण एंव की जा रही कार्यवाही स्थगित की जाय क्योंकि इसी भूमि के

सम्बन्ध में अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । इस आपत्ति को अंतरिम आदेश दिनांक 28-9-11 से तहसीलदार ने निरस्त की है, जब अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश का परीक्षण किया है , राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नक्शा तरमीम दिनांक 18-5-10 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत हुई है जिसमें न्यायालय ने निर्णीत किया है कि हलका पटवारी राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसके कारण उनके द्वारा लिये गये निर्णय अथवा की गई कार्यवाही धारा 50 के अंतर्गत निगरानी योग्य नहीं है और इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी विचाराधीन रही है किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 44 अ-6-अ में की जा कार्यवाही स्थगन के अभाव में रोकी नहीं जा सकती है इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ-6/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-14 में निकाले गये निष्कर्षो से असहमत होने का कोई कारण नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ-6/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-14 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर